2938

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-6/2017 Dated Shimla-171002, the 24-04-2018

Order

Sub :- **Diversion of 4.7748 ha of forest land in favour of Sh. Pratap Singh, Village Rapey, P.O.Jobrang, Tehsil Keylong, Distt. Lahaul & Spiti for mining lease/stone crusher and link road from NH to work site within the jurisdiction of Lahaul Forest Division, Distt. Kullu, H.P.**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **8B/HPB/09/38/2015/2020 dated 06-03-18** के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **4.7748** हैक्टेयर वन भूमि को **Shri Pratap Singh** को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करते हैं:–

1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।

2 एन.पी.वी. की दरों में अगर बढोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी हुई दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।

3 प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 4.7748 है0 वन भूमि के बराबर गैर वन भूमि (Talmehra/Shamlat Panjora H43 E/2 village Panjora, Tehsil Bangana, District Una) को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी। प्रतिपूरक पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।

4 Nodal Officer-cum-APCCF(FCA) vide his letter No. Ft.48-2938/2015(FCA) dated 19-03-2018 which is addressed to APCCF(Central), MoEF&CC, GoI,Dehradun has informed that stipulation No. 4 imposed by them vide their letter dated 06-03-2018 has rightly been fulfilled by the User Agency.

5 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों /स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

6 प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहँचे।

7 परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।

8 निर्माण कार्य के पूर्ण होने के उपरांत जहां–जहां संभव हो परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग की देख–रेख में उपयुक्त प्रजाती के पौधों का रोपण किया जाएगा।

9 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उददेश्य के अलावा अन्य किसी उददेश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।

10 Layout Plan भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं बदला जाएगा।

11 प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्षों का कटान/पातन नहीं किया जाएगा।

12 The User Agency shall obtain the Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act,1986, if required.

Contd./2

SC(FCA) 27/4
APCCF(FCA)
PCCF

अ.मु.अ.व.सं. (व.सं.) डायरी सं. 430 दिनांक 01/5/18

13 The boundary of the forest land being diverted shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, DGPS coordinates, forward and back bearing, and distance from adjoining pillars etc.

14 The renewal period of diversion of the said forest land under this approval shall be for a period coterminous with the period of mining lease granted in accordance with the Himachal Pradesh Minor Mineral (Concession)Revised Rules, 1971, or project life, whichever is less.

15 The User Agency and the State Forest department shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the Project.

16 User Agency shall submit the annual report on compliance to conditions stipulated in the approval to the State Government and the concerned Regional Office of this Ministry.

17 A lease- deed of the forest land shall be executed by the User Agency with Collector- cum- Deputy Commissioner, District Kullu, H.P.

18 ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी ।

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला –2

Endst. No **FFE-B-F(2)-6/2017** (FCA) Dated, Shimla-171001 the,..24-4-2018

Copy is forwarded to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Principal Chief Conservator of Forests, Regional Office (North Central Zone), Govt. of India, Ministry of Environment Forests & Climate Change, 25- Subhash Road Dehradun-248001.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- CCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for information.
5. The Deputy Commissioner, Kullu Distt., Kullu, Himachal Pradesh
6. DFO Lahaul Forest Division, Distt., Kullu H.P.
7. Sh. Pratap Singh, Village Rapey, P.O. Jobrang, Tehsil Keylong, Distt. Lahaul & Spiti.
8. Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 24-4-2018
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

S(FCA)
26/7
APCCF(FCA)